न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 03 / 2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री धर्मदत्त जाति ब्राह्मण निवासी सांतपुर के कायम मुकाम–
   - 1.1 श्रीमती वर्षा पत्नि स्व. श्री सुरेश जाति ब्राह्मण निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.2 श्री कुणाल पुत्र स्व. श्री सुरेश जाति ब्राह्मण निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.3 सुश्री मेघना पुत्री स्व. श्री सुरेश जाति ब्राह्मण निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)

निर्णय

दिनांक 27.12.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्व पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा आकराभट्टा, पटवार मण्डल मानपुर, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 104 रकबा 1.00 बीघा किस्म गै.मु.भट्टा भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश कमांक/राजस्व अभियान/86/1–3 दिनांक 30.04.1986 द्वारा अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री धर्मदत्त जाति ब्राह्मण निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण दिनांक 13.10.1986 द्वारा अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री धर्मदत्त के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:01:13 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण की ओर से इस न्यायालय द्वारा [illegible] नो[illegible] की तामिली उपरान्त भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं [illegible] हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके थे। अतः इनका जवाब [illegible] गया एवं न ही अप्रार्थ[illegible] बहस हेतु नियत तिथि पर किसी भी प्रकार की कोई उप[illegible] दी गई। अतः अप्रार्थीगण [illegible] अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 104 रकबा 1.00 बीघा किस्म गै.मु.भट्टा भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री धर्मदत्त को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा आकराभट्टा, पटवार मण्डल मानपुर, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 104 रकबा 1.00 बीघा किस्म गै.मु.भट्टा भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश कमांक/राजस्व अभियान/86/1–3 दिनांक 30.04.1986 द्वारा अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री धर्मदत्त को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण दिनांक 13.10.1986 द्वारा अप्रार्थी के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया। यह है कि पटवारी हल्का मानपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री धर्मदत्त का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमो में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नही किया है नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी । उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत नही होगा ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा आकराभट्टा पटवार मण्डल मानपुर, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 104 रकबा 1.00 बीघा किस्म गै.मु.भट्टा भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश कमांक/राजस्व अभियान/86/1–3 दिनांक 30.04.1986 द्वारा अप्रार्थी को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:01:13 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner